डॉ. अनिल जैन
राष्ट्रीय महामंत्री

भारतीय जनता पार्टी
Bharatiya Janata Party

दिनांक : 06.07.2015

प्रिय बंधु/भगिनी,

सादर नमस्कार,

हमारे यशस्वी एवं लोकप्रिय प्रधानमन्त्री, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के भारत के लिए देखे गए स्वप्नों को साकार करते हुए, भाजपा की सरकार ने कई युगांतकारी निर्णय लिए हैं. भारतीय समाज के निर्बल, हाशिये पर खड़े समुदायों के, सुखद भविष्य की उज्जवल आशाओं को पूरा करने का महती कार्य कर रहे हैं.

इसी पुनीत दायित्व को पूरा करने के लिया भाजपा संगठन के सूदूर कोनों में स्थित कार्यकर्ता, निरंतर उत्साह के साथ अपना योगदान दे रहे हैं. भाजपा नेतृत्व का यह प्रयास है कि, सभी भारतवासी इन योजनाओं के क्रियान्वयन में योगदान दें, फलस्वरूप अधिकाधिक भारतीय, जो आज भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह रहे हैं. इसका लाभ उठायें.

इसी क्रम में, आगामी रक्षाबंधन के पुनीत पर्व के उपलक्ष्य में हमारी माताओं, बहनों और बेटियों के जीवन को समर्थ, सशक्त एवं सुरक्षित करने की कड़ी में चल रही, अनेकानेक योजनाओं एवं कार्यक्रमों में प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को जोड़ा जा रहा है. योजनाओं की विस्तृत जानकारी संलग्न पत्रक में है.

पार्टी ने इन दोनों योजनाओं को राष्ट्रव्यापी अभियान की तरह, अधिकाधिक घरों में ले जाने का निर्णय लिया है. इसके लिए प्रत्येक स्तर पर कार्यकर्ताओं की भूमिका सुनिश्चित की गयी है, केंद्र में इसके लिए ०९ सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया है. जिसमें निम्न सदस्य हैं.

१. श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी, केन्द्रीय मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
२. श्री थावरचंद जी गहलोत , केन्द्रीय मंत्री, सामाजिक आधिकारिकता मंत्रालय
३. डा. हर्षवर्धन, केन्द्रीय मंत्री विज्ञान एवं तकनीकि मंत्रालय.
४. डा. जितेन्द्र सिंह, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्री,
५. डा. अनिल जैन, राष्ट्रीय महामंत्री.
६. श्रीमती सुधा यादव, राष्ट्रीय मंत्री,
७. श्रीमती ज्योति धुवे, राष्ट्रीय मंत्री,
८. श्रीमती विजया राहटकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा
९. श्री महेंद्र पाण्डेय

भारत में रक्षाबंधन का पर्व सुरक्षा एवं समृद्धि से जुड़ा है. आधुनिक परिपेक्ष्य में "बीमा" सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. यह व्यक्ति एवं परिवार को सुरक्षित रखने का प्रभावी तरीका है. अतः इस वर्ष प्रत्येक विधानसभा में आगामी रक्षाबंधन पर कम से कम, ११००० बहनों को इस योजना का लाभ मिले. इसके लिए महत्वाकांक्षी योजना प्रत्येक विधानसभा में बने, इसके लिए प्रांत एवं जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाए. अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में केन्द्रीय समिति के सदस्य प्रत्येक राज्य का दौरा कर इसकी विस्तृत योजना बनायेंगे. अतः अपने प्रांत में आने वाले समिति सदस्य के साथ जिसकी सूचना प्रांत को दी जायेगी, उनके साथ इसकी योजना बैठक रखें. संभवतया प्रांत की प्रशिक्षण कार्यशालाओं के समय भी इसकी अलग से बैठक की जा सकती है . आपके जिले में जो राष्ट्रीयकृत बैंक व सम्बंधित अधिकारी इन योजनाओं की नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहे है, उसकी जानकारी भी आपको प्रान्तशः भेजी जायेगी. आशा है आप मा० प्रधानमन्त्री जी की इस योजना को एक जनांदोलन बनाने के लिए पुरे सामर्थ्य से योगदान करेंगे, जिससे हमारी माताओं और बहनों को सुरक्षित भविष्य देने का स्वप्न साकार हो सके ।

आपका

डा० अनिल जैन
राष्ट्रीय महामंत्री

प्रति :—

1. केन्द्रीय पदाधिकारी
2. सभी प्रदेश प्रभारी
3. सभी प्रदेश अध्यक्ष
4. सभी प्रदेश संगठन महामंत्री

11, अशोक रोड, नई दिल्ली–110 001, दूरभाष : 23005700 फैक्स : 23005787
11, Ashok Road, New Delhi-110 001, Phone : 23005700 Fax : 23005787

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

1. प्रत्येक बैंक खाता धारक योजना में पात्र हैं।
2. 18 से 70 वर्ष की आयु के लोग पात्र हैं।
3. रुपये 12/— प्रतिवर्ष प्रीमियम है जो आय डेबिट सुविधा से बैंक द्वारा काट लिया जायेगा।
4. बीमा कवर की अवधि 1 जून से 31 मई प्रतिवर्ष है।
5. बीमा कवर मृत्यु एवं पूर्ण विकलांगता होने पर रुपये 2 लाख एवं आंशिक विकलांगता पर 1 लाख है।
6. 31 अगस्त तक बीमा कराने पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है।
7. व्यक्ति यह सुनिश्चित करें कि उनके खाते में प्रीमियम देने के लिए राशि जमा हो।
8. व्यक्ति को एक फार्म भरना होगा जो बैंक की शाखा के अलावा इंटरनेट पर विभाग की वेबसाइट से लिया जा सकता है।
9. फार्म में बैंक खाता नम्बर, नॉमिनी का नाम एवं सहमति आटो डेबिट के लिए देकर अपने बैंक की शाखा में जमा कराना है।
10. यदि प्रियजनों को योजना दान (Donate) करनी हैं तो प्रीमियम की राशि दानकर्ता (Doner) को व्यक्ति के बैंक खाते में जमा कराना होगी।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

1. प्रत्येक बैंक खाता धारक योजना का पात्र है। योजना का फार्म इंटरनेट से डाउलनोड होता है।
2. 18 से 50 वर्ष की आयु के लोग बीमा करा सकते हैं।
3. यदि 50वें वर्ष तक जीवन ज्योति बीमा करा लिया है तो प्रीमियम की राशि प्रतिवर्ष देने पर 55 वर्ष तक पात्र हैं।
4. रुपये 330/— प्रतिवर्ष प्रीमियम है जो ऑटो डेबिट की सुविधा से बैंक द्वारा काटा जायेगा।
5. प्रत्येक हितग्राही को अपने बैंक के खाते में रुपये 330/— और उससे अधिक राशि जमा कराना सुनिश्चित करना होगी।
6. बीमा कवर रुपये 2 लाख व्यक्ति की मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में उसके नॉमिनी को मिलेगा।
7. बीमा कवर की अवधि प्रतिवर्ष 1 जून से 31 मई तक है।
8. 31 अगस्त तक बीमा कराने पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है।
9. प्रियजनों को यह योजना दान (Donte) करने के लिए उस व्यक्ति के बैंक खाते में बीमा का राशि डोनर दानकर्ता द्वारा जमा कराई जा सकती है।